उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 रिवीजन वाद सं0 07/2021–22

सुरज प्रकाश टुडू.....आवेदक

बनाम

गोमस टुडू.....विपक्षी

आदेश

18.02.2021

यह रे0मि0 रिवीजन वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–96/95–96 में पारित आदेश दिनांक–01.09.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

1. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 के अन्तर्गत प्रधानी नियुक्ति की प्रक्रिया के नियमों का पूर्णरूपेन पालन नहीं किया गया है।

2. अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित गलत जमाबंदी रैयतों की सूची पर विचार नहीं किया गया है।

3. अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित जमाबंदी रैयतों की सूची में कई रैयत की मृत्यू हो चुकी है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध में मतदान कराया गया है। जमाबंदी रैयतों के सूची में कई गलत रैयतों का नाम दर्ज किया गया है।

ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश न्याय संगत नहीं है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

अभिलेख में उपलब्ध तथ्य निम्न प्रकार है :–

मौजा–सोनवाडीह अंचल मसलिया के पूर्व प्रधान को पद से बरखास्त किये जाने के पश्चात् अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 के अन्तर्गत सूची प्राप्त कर प्रधान नियुक्ति की प्रक्रिया अपनायी गई। इस संबंध में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि जमाबंदी सं0–02,17,19 एवं 21 के सूची में अंकित रैयत पागल मरांडी, आनो हेम्ब्रम, राम टुडू एवं जानकी टुडू की

मृत्यु हो चुकी है। जमाबंदी सं0–09 में अनोकौन्ट मरांडी के स्थान पर फ्रेशन मरांडी, जमाबंदी सं0–10 में मुलवीन हेम्ब्रम के स्थान पर ढंकाई हेम्ब्रम तथा जमाबंदी सं0–22 में ललिता टुडू के स्थान पर सोनाबिटी टुडू का नाम रैयत के सूची में दर्ज किया है, जो गलत है। इसी आधार पर आवेदक द्वारा यह रिवीजन आवेदन दायर किया गया है।

अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित जमाबंदी रैयतों की सूची एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश :–

अंचल अधिकारी, मसलिया के पत्रांक–445/रा0 दिनांक–13.08.2021 द्वारा समर्पित जमाबंदी रैयतों की सूची में 18 रैयतों का नाम दर्ज है। न्यायालय में मतदान के तिथि को 12 जमाबंदी रैयतों की उपस्थिति दर्ज हेतु जो 2/3 से अधिक है जिसमें 10 रैयतों द्वारा विपक्षी एवं 02 रैयत द्वारा आवेदक के पक्ष में मतदान किया गया है। इसी आधार पर विपक्षी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

प्रावधान

Rules regarding the manner of ascertaining the consent of jamabandi raiyats and appointment of headman under Section 5.- (1) On receipt of an application from a raiyat or a landlord under Section 5, the Deputy Commissioner shall issue notice to the *jamabandi raiyats* of the village and to the landlord in Form A.

(2) The Consent of atleast two-thirds of the persons recorded as *jamabandi raiyats* of the village shall be ascertained by the Deputy Commissioner by show of hands :

Provided that if on the date so fixed at least two-thirds of the persons recorded as *jamabandi raiyats* of the village fail to be present the Deputy Commissioner shall fix another date and issue fresh notices in the manner prescribed in sub-rules 3(1), if on the date so fixed, at least two-third of the persons recorded as *jamabandi raiyats* again fail to be present the Deputy Commissioner shall summarily reject the application made under Section- 5.

(3) The decision of the Deputy Commissioner as to whether a person is entitled to vote or not shall be final.

(4) If at least two-third of the persons recorded as *jamabandi raiyats* give their consent for appointment of headman for the village, the Deputy Commissioner shall at once invite nomination for the appointment of headman and proceed to make the appointment.

(5) In making the appointments of headman under Section 5 or Section 6 the Deputy Commissioner shall, as far as possible, follow the rules prescribed in Schedule V except where these rules, expressly or by necessary implication, provide otherwise.

निष्कर्ष

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक का दावा है कि कुछ जमाबंदी रैयतों की मृत्यु हो चुकी है, उनके विरूद्ध अन्य को मतदान कराया गया है। जमाबंदी रैयतों के सूची में गलत रैयत का नाम दर्ज किया गया है एवं उन्हें मतदान कराया गया है। किस जमाबंदी रैयतों को मतदान का अधिकार है, इस संबंध में "उपायुक्त" अर्थात अनुमंडल पदाधिकारी को निर्णय का अधिकार है। संथाल परगना कास्तकारी (पूरक) रूल्स 1950 के रूल 3(3) में निम्न प्रकार उद्धृत है :–

Rul -3(3)- The Decision of the Deputy Commissioner as to whether a person in entitled to vote or not shall be final

इस आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होता है। आवेदक के दावा निराधार एवं निरस्त करने योग्य है।

आदेश

उल्लेखित तथ्य एवं कानूनी प्रावधान के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को वरकरार रखते हुए आवेदक के आवेदन को अंगीकृत बिन्दु पर खारीज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.06 12:03:07 +05:30
Location: 169.254.227.244